(150)

निग /2964/II/15

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प रीवा, जिला -रीवा

म०प्र०

Rs.20/-

बृजसेन सोनी तनय दयानन्द सोनी आयु 36 साल, पेशा नौकरी, निवासी ग्राम करौंदिया उत्तर टोला तह०गोपदबनास जिला सीधी ----निगराकार

बनाम

1- हीरालाल तनय राम प्रकाश गुप्ता, } दोनों नि० निराली, तह०गोपद
2- हरिदास तनय रामसुन्दर गुप्ता, } बनास, जिला सीधी म०प्र०

3- रामकृपाल गुप्ता तनय रामनिवास गुप्ता, निवासी अमहा, तहसील गोपद-बनास, जिला - रीवाम०प्र०

4- पारवती गुप्ता पत्नी रामगोपाल गुप्ता,

5- अरविन्द गुप्ता पिता रामगोपाल गुप्ता,

6- रवीन्द्र गुप्ता तनय रामगोपाल गुप्ता,

7- जीतेन्द्रगुप्ता तनय रामगोपाल गुप्ता,

8- आनन्द गुप्ता पिता रामगोपाल गुप्ता,

9- ममता गुप्ता पुत्री रामगोपाल गुप्ता,

10- दीपिका गुप्ता पुत्रीरामगोपाल गुप्ता,

4 ता 10 निवासी कोटहा बाजार, तहसील -गोपदबनास, जिला -सीधी म०प्र० ------ गैर निगराकारगण

निगरानी अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 2006/निगरानी/ 2006-07 में पारित आदेश दिनांक 3-7-15 के विरूद्ध

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा० संहिता 1959 ई०

2-

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

जिला-सीधी

प्रकरण क्रमांक- R. 2964-II/2015

बुद्धसेन सोनी/ हीरालाल गुप्ता

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.02.19	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपस्थित। 3. यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-सीधी के प्रकरण क्रमांक 2006/निगरानी/2006-07 में पारित आदेश दिनांक 03-07-2015 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 13-08-2015 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

6. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-04-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त रीवा के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन)
सदस्य 15/2/19